"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 751] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 25 सितम्बर 2025 — अश्विन 3, शक 1947

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/4762/2025–LABOUR. — छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में निम्नानुसार सं"ोधन करती है, अर्थात्ः–

संशोधन

नियम 07 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जावे :–

रात्रि पाली में महिला कर्मकारों का नियोजन एवं शर्तें –

(1) किसी दुकान या स्थापना या नियोजकों के वर्गों, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, में महिला कर्मकारों को रात्रि 09 बजे से सुबह 06 बजे तक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन नियोजित किया जा सकेगा :–

(i) रात्रिकालीन नियोजन हेतु महिला कर्मकार की सहमति प्ररूप–6 में लिया जाना आवश्यक होगा।

(ii) रात्रि पाली में कम से कम 03 महिला कर्मचारी का नियोजन किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) रात्रि पाली में नियोजित महिला कर्मकारों को कार्यस्थल से उनके निवास तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने हेतु सुरक्षा गार्ड के साथ समुचित वाहन व्यवस्था की जायेगी। पुलिस द्वारा सत्यापित वाहन, वाहन चालक एवं सुरक्षा गार्ड का विवरण इत्यादि तथा अन्य अपेक्षित जानकारी नियोजक द्वारा रखा जायेगा।

(iv) प्रत्येक नियोजक महिला कर्मकारों हेतु एक शिकायत पेटी रखेगा।

(v) प्रत्येक नियोजक दुकान/स्थापना के सहजगोचर स्थान पर स्थानीय पुलिस थाना, पुलिस कंट्रोल रूम एवं महिला सहायता केन्द्र का फोन नंबर प्रदर्शित करेगा।

(vi) प्रत्येक नियोजक अथवा नियोजकों के समूह द्वारा दुकान/स्थापना में महिला कर्मियों के लिए पृथक से मूत्रालय एवं शौचालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसके दरवाजे में केवल अंदर की ओर से सुरक्षा सिटकनी की व्यवस्था होगी। शौचालय, विश्राम कक्ष और पेयजल की सुविधा कार्यस्थल के भीतर होनी चाहिये, जहां ऐसी महिला कर्मचारी नियोजित हों।

(vii) किसी महिला को कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 53) के प्रावधानों के विरूद्ध नियोजित नहीं किया जावेगा।

(viii) नियोजक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल में पर्याप्त प्रकाश, हवा के साथ–साथ स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जावेगा।

(ix) कार्यस्थल, जहां कि कर्मकारों से लगातार खड़े होकर कार्य की अपेक्षा की जाती हो वहां प्रत्येक कर्मकार के लिए पृथक से बैठने की व्यवस्था नियोजक द्वारा की जायेगी, जिससे कि कर्मकार नियत अन्तराल में आवश्यकतानुरूप बैठ सके।

(x) प्रत्येक नियोजक अग्नि से सुरक्षा संबंधी समुचित प्रावधान का पालन करेगा।

(xi) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एव प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 14), जो स्थापनाओं पर लागू हो, के उपबंधों का अनुपालन किया जावेगा।

(2) नियोजक द्वारा महिला श्रमिकों के रात्रि पाली में नियोजन की सूचना उनके नियोजन के पूर्व प्रपत्र–7 में श्रम विभाग के वेब पोर्टल में ऑनलाईन माध्यम से दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता गर्ग, उप–सचिव.

प्ररूप–6
(धारा 6(2) और नियम 7(1) देखिये)

महिला कर्मचारी / कर्मकारों द्वारा रात्रि पाली में कार्य करने के संबंध में सहमति पत्र

मैं कुमारी / श्रीमती .... पिता / पति का नाम .... पता .... वर्तमान में दुकान / स्थापना .... पता ....में ....पद पर .... अवधि से कार्यरत हूं एवं रात्रि पाली में दुकान / स्थापना निरंतरित संचालित होने के कारण एवं छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 सहपठित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप संस्थान में कार्यस्थल पर महिला कर्मीयों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के साधनों एवं संस्थान से निवास स्थान तक सुरक्षित सुरक्षागार्डो की उपस्थिति में सुरक्षित वाहनों से मेरे निवास तक पहुंचाये जाने की व्यवस्था तथा रात्रि पाली में 03 से अधिक महिला कर्मी कार्यरत होने की जानकारी होने के कारण मैं रात्रि पाली में .... बजे से .... बजे तक कार्य करने हेतु सहमति प्रदाय करती हूं।

मुझे यह भी ज्ञात है कि उक्त संस्थान में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के तहत् कुमारी / श्रीमती .... की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

दिनांक :

महिला कर्मी का नाम एवं हस्ताक्षर
मो0 नं0 :
पता :

प्ररूप–7
(धारा 6(2) और नियम 7(2) देखिये)
महिला कर्मचारी / कर्मकारों से रात्रि पाली में कार्य लेने की सूचना

प्रति,

फैसिलिटेटर,
कार्यालय का पता ....

विषय – दुकान / स्थापना में महिला कर्मकारों से रात्रि पाली में कार्य लेने की सूचना।

––––

1. यह कि मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 सहपठित छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करते हुये महिला कर्मचारियों से रात्रिपाली में कार्य लिया जा रहा है। इस हेतु महिला कर्मकारों से सद्भावना से सहमति ले ली गई है।
2. यह कि संस्थान में यौन उत्पीड़न समिति श्रीमती / कुमारी.................................. की अध्यक्षता में गठित है।

तत्संबंधी विवरण निम्नानुसार है :–

1	दुकान / स्थापना का नाम एवं पता	....
2	श्रम पहचान संख्या	....
3	नियोजक का नाम एवं पता	....
4	ई–मेल	....
5	दूरभाष / मोबाईल नम्बर	....
6	नियोजक का आधार संख्या	....
7	पाली की अवधि	....
8	कार्यरत महिलाओं की संख्या	....
9	महिलाओं से लिये जाने वाले कार्य का स्वरूप	....
10	सुरक्षा हेतु किये गये उपायों का विवरण (अ) कार्यस्थल से महिला कर्मकार के निवास तक पहुंचने हेतु सुरक्षागार्ड युक्त वाहन का विवरण (ब) महिला कर्मचारी / कर्मकार हेतु शिकायत पेटी का विवरण (स) रात्रि पाली में महिला कर्मकारों की सुरक्षा हेतु नियुक्त महिला सुरक्षाकर्मी का विवरण (द) महिला कर्मचारियों के लिये पृथक से युरिनल एवं टॉयलेट (शौचालय) का विवरण	....
11	महिला कर्मचारियों से सहमति पत्र अपलोड करें	....
12	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के तहत् गठित समिति का विवरण	....

स्थान ....
दिनांक ....

....
स्वामी / भागीदार / प्रबंधक / सचिव /
प्रबंध संचालक या प्रभारी व्यक्ति
के डिजिटल हस्ताक्षर

Nava Raipur Atal Nagar, the 25th September 2025

NOTIFICATION

No. ESTB/4762/2025-LABOUR.— In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (No. 21 of 2018), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2021 as follows, namely:-

AMENDMENT

The rule 7 shall be substituted namely :-

Employment and Conditions of the Women Workers in night shift.-

(1) Any shop or establishment or class of employers on which this Act applies can employ women workers from 09:00 pm to 06:00 am subject to the following conditions :-

(i) The consent of woman worker for night shift shall be in Form-6.

(ii) It is necessary to have at least 3 women workers employed in night shift.

(iii) Arrangements of security guards alongwith suitable vehicles will be made for the women workers employed in the night shift to pick-up and drop to their residence from the workplace safely. Details of the vehicle, driver and security guard etc verified by the police and other required details will be kept by the employer.

(iv) Every employer will keep a complaint box for women workers.

(v) Every employer shall display the phone number of local police station, police control room and women's help center at an easily visible place of the shops and establilshments.

(vi) Every employer will arrange separate urinals and toilets for women workers in the shop/establishment where the doors will have safety lache only from inside. The toilet, washroom and drinking facilities should be within the workplace where such women employees are employed.

(vii) No women worker shall be employed against the maternity benefit provisions laid down under the Maternity Benefit Act,1961(No. 53 of 1961).

(viii) Employer shall provide adequate light, air as well as healthfriendly environment at every workplace.

(ix) Every workplace where workers are expected to stand continuously for work, arrangements for sitting separately for each worker shall be made by the employer so that the workers can sit in required intervals.

(x) Every employer shall comply with the relevant provisions of fire protection.

(xi) The provisions of the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013), as applicable to the establishments, shall be complied.

(2) Information regarding employment of women workers in night shifts shall be given by the employer in Form-7 through online on the web portal of the Labour Department before their employment.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANKITA GARG, Additional Secretary.

Form-6

(See Section 6 (2) and Rule 7 (1))

Consent letter with regard to women employees/workers in night shift

I Miss / Smt. .... Father / Husband's Name .... Address ………………. working currently at the shop / establishment .... Address .... on designation .... working period from .... in the night shift, due to the continuous functioning of the shop / establishment and in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Shop and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2021 read with Chhattisgarh Shop and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 for the health and safety of women employees at the work place .In the presence of the security guards in the vehicles from the establishment to the place of residence and more than 03 female employees being employed in the night shift, I provide consent to work in the night shift from .... to ....

I am also aware that in the establishment, sexual harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Compensation) Act, 2013 Committee has been formed under the chairmanship of Ms/Mrs. .... ,...................

Dated:- ....

....

Name and sign of female worker

Mo. No:

Address:

Form-7
(See Section 6 (2) and Rule 7(2))
Information regarding employment of women employee/worker in night shift

To,

Facilitator
Office Address ....

Sub :- Information regarding employment of women employee/worker in night shift in shop/ establishment

-----

1. That the work is being taken from the female employees in night-shift by following the provisions mentioned in the Chhattisgarh Shop and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 read with Chhattisgarh Shop and Establishment (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2021 and bonafide consent has been taken from women employees.
2. That the Committee on Sexual Harassment is formed under the chairperson Ms/Mrs. .... in the institute.

The details are as following : -

1. Name and address of the shop/establishment ....
2. Labour Identification number ....
3. Name and address of employer ....
4. E-mail ....
5. Telephone / Mobile Number ....
6. Aadhar number of the employer ....
7. Period of shift ....
8. Number of women employed ....
9. Nature of work taken from women ....
10. Details of measures for safety
    (A) Details of vehicle with security guards to drop the women worker from workplace to the residence
    (B) Details of complaint box for women employee/worker
    (C) Details of women security guards who are appointed to protect women employee in night shift
    (D) Details of separate urinal and toilets for women employee ....
11. Upload consent letter from women employees ....
12. Details of the Committee constituted under the Sexual Harassment of Women At Work Place (Prevention, Prohibition and Compensation) Act, 2013...

Place ....
Dated ....

Digital signature
Owner / Partner / Manager / Secretary /
Managing director or person in charge